



राष्ट्रीय स्तर पर बहु-राज्य सहकारी समितियाँ

प्रसंग

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने बताया कि “भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर तीन बहु-राज्य सहकारी समितियों के गठन का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु :-

भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की निम्नलिखित तीन बहु राज्य सहकारी समितियों के गठन का निर्णय लिया है:

- बहु राज्य कंपनी बीज सोसायटी।
- बहु राज्य कंपनी कार्बनिक सोसायटी।
- बहु राज्य कंपनी निर्यात सोसायटी।
- जैविक उत्पादों की राष्ट्रीय संस्था विश्व में जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारतीय किसानों को असीमित अवसर प्रदान करेगी।
- यह उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणन और भंडारण, ब्रांडिंग और बिक्री के लिए एकछत्र संगठन (अम्ब्रेला) के रूप में भी कार्य करेगा।
- मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, खरीद, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बिक्री में और नए शोध और विकास में भी मदद करेगी।
- इस सोसायटी के माध्यम से विलुप्त हो रहे स्वदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण की भी व्यवस्था की जा सकती है।
- देश की 8.45 लाख सोसायटियों को अपने उत्पादों को दुनिया भर में बेचने, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें एक सफल व्यावसायिक उद्यम बनाने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी से मदद मिलेगी
- इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
- इस निर्णय से सहकारिता क्षेत्र को नई ताकत मिलेगी।

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002

- यह सहकारी समितियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है , जिसका उद्देश्य
- एक से अधिक राज्यों में सदस्यों के हितों की सेवा करना है।
- स्वयं सहायता पर आधारित लोगों की संस्थाओं के रूप में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक कामकाज को सुगम बनाना।
- ध्यातव्य है कि विभिन्न सहकारी समितियों और विभिन्न सहकारी समितियों के संघों के साथ-साथ सरकार द्वारा उन्हें अपनी आर्थिक और सामाजिक बेहतरी को बढ़ावा देने और कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए आवश्यक महसूस की जा रही थी।
- उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसद में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल प्रस्तुत किया गया था।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए बिल को 3 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के रूप में अस्तित्व में आया।

नाबालिगों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाये जाने की स्थिति के आकलन हेतु एनसीपीसीआर ड्राफ्ट दिशानिर्देश

प्रसंग

हाल ही में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने एक मसौदा दिशानिर्देशों जारी किया है। यह जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) के अंतर्गत कुछ नाबालिगों को विशेष मामलों में वयस्कों के रूप में कानून के तहत मुकदमा चलाने के प्रारंभिक मूल्यांकन से सम्बंधित है।

एक किशोर का एक वयस्क के रूप में ट्रायल से सम्बंधित कानून :-

- जुवेनाइल कानूनों में 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को नाबालिग माना जाता है। परन्तु 2015 में एक संशोधन के माध्यम से, कुछ मामलों में किशोरों पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए जेजे अधिनियम में एक प्रावधान जोड़ा गया
- इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोर पर जघन्य अपराधों के मामले में एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा

मसौदा दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

• मसौदे में कहा गया है कि प्रारंभिक मूल्यांकन में चार पहलुओं का निर्धारण करना होता है-

बच्चे की शारीरिक क्षमता

- बच्चे की 'गतिशीलता' क्षमताओं और क्षमताओं का निर्धारण करने के लिए, विशेष रूप से चलने, दौड़ने, उठाने, फेंकने आदि जैसे सकल मोटर कार्यों के संबंध में ऐसी क्षमताएं जो अधिकांश



12 जनवरी 2023

सकता है।

- जघन्य अपराध- ऐसा अपराध जिसके लिए न्यूनतम सजा सात वर्ष कारावास का प्रावधान होता है।
- अधिनियम की धारा 15 (1) में कहा गया है कि किशोर न्याय बोर्ड यह निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा कि ऐसे बच्चे पर वयस्क या नाबालिग के रूप में मुकदमा चलाया जाए या नहीं।
- अधिनियम निर्देश देता है कि बोर्ड निम्नलिखित पर विचार करेगा-
 - कथित अपराध करने के लिए बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता।
 - अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता।
 - अपराध हेतु उत्तरदायी परिस्थिति
- मूल्यांकन के बाद, बोर्ड इस सन्दर्भ में आदेश दे सकता है कि उक्त बच्चे पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की आवश्यकता है और मामले को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले बच्चों के न्यायालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
- यदि अभियुक्त नाबालिग सिद्ध होता है तो अधिकतम तीन वर्षों के लिए विशेष गृह में भेजा जा सकता है।

असामाजिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए आवश्यक होंगी।

मानसिक क्षमता

सामाजिक निर्णय और निर्णय लेने की बच्चे की क्षमता का निर्धारण करना।

- जिन परिस्थितियों में अपराध कथित रूप से किया गया था
- बच्चे की मनोसामाजिक कमजोरियां यथा जीवन में घाटी कोई दुर्घटना अथवा मानसिक आघात आदि।

कथित अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता

यह क्रमशः उसके व्यक्तिगत संबंधों और प्रासंगिक कानूनों के ज्ञान का मूल्यांकन है

प्रारंभिक मूल्यांकन का समापन

यह बच्चे को बोर्ड के समक्ष पेश किए जाने के तीन महीने के भीतर होना चाहिए।

उत्तरदायी संस्था

- इस मूल्यांकन हेतु जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उत्तरदायी है।
- बोर्ड बाल मनोवैज्ञानिकों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं से सहायता ले सकता है।

संक्षिप्त सुर्खियां

बायोएनेर्जी शिखर सम्मेलन



सन्दर्भ :-

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री, 12 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिषद (CII) के प्रमुख कार्यक्रम "बायो एनेर्जी समिट 2023" के 11वें संस्करण को संबोधित करेंगे।

मुख्य विशेषताएं:



- "एनेर्जी ट्रांजिशन- सोल्यूशन फॉर अ सस्टेनेबल टुमॉरो " विषय के साथ यह शिखर सम्मेलन इनोवेटर्स के लिए एक अवसर तथा भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा समाधानों के लिए एक मार्ग प्रदान करेगा।
- शिखर सम्मेलन समग्र स्थिरता एजेंडा में जैव ईंधन की प्रासंगिकता पर भी विचार करेगा।
- सीईओ, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं, नवोन्मेषकों, राजनयिकों और निवेशकों सहित 500 से अधिक प्रतिनिधियों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है।

सीआईआई के बारे में:

- CII एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग-आधारित और उद्योग-प्रबंधित संगठन है।
- सीआईआई भारतीय उद्योग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुदाय के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है।

Face to Face Centres







	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) सलाहकार और परामर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से उद्योग, सरकार और नागरिक समाज की भागीदारी के साथ भारत के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और बनाए रखने के लिए काम करता है।
<p>ग्लोबल एंटरप्रेन्योर मॉनिटर इंडिया रिपोर्ट</p> 	<p>प्रसंग हाल ही में एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की।</p> <p>मुख्य विशेषताएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर (GEM) इंडिया रिपोर्ट 2021-22 जारी की और फॉर्मलाइजेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। एमएसएमई मंत्रालय ने फॉर्मलाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर (जीईएम): वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर (जीईएम) एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जो देशों के उद्यमशीलता परिदृश्य पर जानकारी प्रदान करना चाहती है। GEM दुनिया भर में उद्यमिता और उद्यमिता पारिस्थितिक तंत्र पर सर्वेक्षण-आधारित शोध करता है और इसका नेतृत्व भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद द्वारा किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में भारत की उद्यमशीलता गतिविधि का विस्तार हुआ, इसकी कुल उद्यमशीलता गतिविधि दर (वयस्कों का प्रतिशत (18-64 आयु वर्ग) जो एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या चला रहे हैं) जो 2020 में 5.3% था 2021 में बढ़कर 14.4% हो गया।
<p>नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए</p> 	<p>प्रसंग हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह याचिका में उठाए गए अन्य मुद्दों पर आगे बढ़ने से पहले यह तय करेगी कि प्रावधान संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं।</p> <p>नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए</p> <ul style="list-style-type: none"> धारा 6ए एक विशेष प्रावधान था जिसे 1955 के अधिनियम में 'असम समझौते' नामक एक समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ाने के लिए जोड़ा गया था। ध्यातव्य है कि असम आंदोलन के नेताओं के साथ तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा 15 अगस्त 1985 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य असमिया संस्कृति, विरासत, भाषाई और सामाजिक पहचान को संरक्षित और संरक्षित करना था। यह समझौता ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएसयू) द्वारा राज्य से ज्यादातर पड़ोसी बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए छह साल के लंबे आंदोलन के परिणामस्वरूप अमल में लाया गया था। <p>प्रावधान</p> <ul style="list-style-type: none"> धारा 6ए के तहत, विदेशी जो 1 जनवरी, 1966 से पहले असम में प्रवेश कर चुके थे, और राज्य में





12 जनवरी 2023

	<p>"सामान्य रूप से निवासी" थे, उनके पास भारतीय नागरिकों के सभी अधिकार और दायित्व होंगे।</p> <ul style="list-style-type: none"> जिन्होंने 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच राज्य में प्रवेश किया था, उनके समान अधिकार और दायित्व होंगे, सिवाय इसके कि वे 10 साल तक मतदान नहीं कर पाएंगे। <p>याचिकाकर्ताओं का तर्क</p> <p>याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि "विशेष प्रावधान" संविधान के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन था, जिसने 19 जुलाई, 1948 को अप्रवासियों को नागरिकता देने की अंतिम तारीख तय की थी।</p>
<p>हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण</p> 	<p>प्रसंग</p> <p>ऊपरी असम बेसिन के डिब्रूगढ़ क्षेत्र सबसरफेस सेडीमेंट्स को डिकोड कर हाइड्रोकार्बन की खोज का प्रयास किया जा रहा है।</p> <p>मुख्य विशेषताएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3डी भूकंपीय डेटा का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि किस प्रकार 3डी भूकंपीय डेटा का उपयोग करके एक बेसिन में तलछट के निक्षेपण इतिहास को समझा जा सकता है। यह हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है और क्षेत्र के भूकंप-विवर्तनिकी के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। पूर्वोत्तर भारत में ऊपरी असम बेसिन उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण में नागा पहाड़ियों और पूर्व में मिशमी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अधिकांश तलछट तृतीयक काल (66 - 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व) और हाल के जलोढ़ आवरण से संबंधित हैं। यह शोध सिस्मिक इंटरप्रिटेशन लेबोरेटरी (एसआईएल), देहरादून द्वारा किया गया था और जियोलाॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के जर्नल में प्रकाशित हुआ है।
<p>रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई को बढ़ावा देने की योजना</p> 	<p>प्रसंग</p> <p>देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, RuPay डेबिट कार्ड और कम मूल्य के BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की योजना आरम्भ की गई है।</p> <p>मुख्य विशेषताएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> इस योजना के अंतर्गत, अधिग्रहण करने वाले बैंकों को वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन का उपयोग करके पॉइंट-ऑफ-सेल और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यह प्रोत्साहन योजना एक मजबूत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और RuPay डेबिट कार्ड और BHIM-UPI डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगी। योजना UPI लाइट और UPI 123PAY को किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में भी बढ़ावा देगी। इससे पहले डिजिटल भुगतान प्रणालियों में विभिन्न हितधारकों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर शून्य एमडीआर (मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट) शासन के संभावित प्रतिकूल प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की थी।

<p>वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या VSHORAD (IR होमिंग) मिसाइल सिस्टम</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ध्यातव्य है कि यूपीआई ने दिसंबर 2022 के महीने में 782.9 करोड़ के डिजिटल भुगतान ट्रांजेक्शन के साथ ₹ 12.82 लाख करोड़ मूल्य लेनदेन का रिकॉर्ड हासिल किया है। <p>प्रसंग हाल ही में, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या VSHORAD (IR होमिंग) मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) प्रदान की। मुख्य विशेषताएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> VSHORADS एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPAD) है। इसे डीआरडीओ के अनुसंधान केंद्र आरसीआई, हैदराबाद द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को मारने के लिए है। <p>तकनीकी विशेषताएं</p> <ul style="list-style-type: none"> यह एक दोहरे थ्रस्ट ठोस मोटर द्वारा चलाया जाता है। मिसाइल में लघुकृत प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली (आरसीएस) और एकीकृत वैमानिकी सहित कई नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जिनका पिछले वर्ष सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। DRDO ने आसान पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए मिसाइल और इसके लॉन्चर को डिजाइन किया है। <p>महत्व</p> <ul style="list-style-type: none"> इसे ऊबड़-खाबड़ तथा समुद्री क्षेत्र में तीव्रता से तैनात किया जा सकता है। वे सशस्त्र बलों, यहां तक कि सभी सुसज्जित पैदल सेना इकाई के लिए भी, के लिए एक महत्वपूर्ण वायु रक्षा मिसाइल होंगे, तथा ये पर्वतीय युद्ध के लिए सबसे अच्छे विकल्प होंगे।
<p>पृथ्वी II</p> 	<p>सन्दर्भ :- हाल ही में, भारत ने ओडिशा तट के एक परीक्षण रेंज से सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-II का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल ने उच्च सटीकता के साथ अपने लक्ष्य का भेदन किया। पृथ्वी-II के बारे में</p> <ul style="list-style-type: none"> पृथ्वी को डीआरडीओ द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था। पृथ्वी-II परमाणु-सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह प्रकाश प्रणोदन डबल इंजनों द्वारा संचालित है। इसकी मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर है और यह 500-1,000 किलोग्राम आयुध ले जाने में सक्षम है। यह निर्धारित लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए एक उन्नत नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करता है। इससे पहले 2018 और 2019 में पृथ्वी-II सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। पृथ्वी-II मिसाइल, जो एक सुस्थापित प्रणाली है, भारत के परमाणु प्रतिरोध का एक अभिन्न अंग रही है।



ड्यूकेन मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी



सन्दर्भ :-

भारत में शोधकर्ता देश में 5 लाख से अधिक मामलों के साथ ड्यूकेन मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी नामक एक दुर्लभ और असाध्य आनुवंशिक विकार के लिए एक किफायती उपचार विकसित करने पर काम कर रहे हैं।

मुख्य विशेषताएं:

- ड्यूकेन मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी का सबसे आम और घातक प्रकार है।
- DMD लगभग 3,500 लड़कों में से एक को प्रभावित करता है।
- यह "डिस्ट्रोफिन" नामक प्रोटीन के परिवर्तन के कारण प्रगतिशील मांसपेशी अधः पतन और कमजोरी को चिह्नित करता है। ध्यातव्य है कि यह प्रोटीन मांसपेशियों की कोशिकाओं को अक्षुण्ण रखने में मदद करता है।
- यह धीरे-धीरे मांसपेशियों के ऊतकों में भारी कमी का कारक बनता है जिससे व्यक्ति लगभग 12 वर्ष की आयु में व्हीलचेयर पर निर्भर हो जाता है, लगभग 20 वर्ष की आयु में सहायक वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। अंततः यह रोग समय पूर्व मृत्यु का कारक बनता है।
- मांसपेशियों में कमजोरी डीएमडी का प्रमुख लक्षण है।
- यह 2 या 3 साल की उम्र में शुरू हो सकता है, पहले समीपस्थ मांसपेशियों (जो शरीर के कोर के करीब हैं) को प्रभावित करता है और बाद में दूरस्थ अंग की मांसपेशियों (जो चरम के करीब होती हैं) को प्रभावित करता है।
- यह स्थिति मुख्य रूप से लड़कों में देखी जाती है, लेकिन दुर्लभ मामलों में, यह लड़कियों को भी प्रभावित कर सकती है।
- डीएमडी के इलाज के लिए उपलब्ध मौजूदा चिकित्सीय विकल्प न्यूनतम और अत्यधिक महंगे हैं और ज्यादातर विदेशों से आयात किए जाते हैं।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare

Face to Face Centres

